

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

3

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 127/2023

दायर दिनांक 03.11.2023

उनवान

1. नानूराम पि. शेवा जाति बागरी निवासी रूपारेल तहसील रायपुर

.....वादी

वनाम

1. शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति बागरी नि.कोचरियाखेड़ी तहसील पचपहाड़

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

अभिभाषक वादी :- श्री महेन्द्रसिंह जैन

प्रतिवादी :- एकतरफा

निर्णय

दिनांक 06.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम रूपारेल तहसील रायपुर खाता संख्या 152 के खसरा नं. 23 रकबा 1.4796 हे0, खसरा नं. 24 रकबा 1.3026 हे0, खसरा नं. 26 रकबा 1.2646 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 4.0468 हे0 भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय के आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.02.2025 से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अधीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन का प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर पेश करें। मौके पर पहुँच हेतु रास्ते की आवश्यकता होने पर 10 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाकर खाता विभाजन के प्रस्ताव करने के तहसीलदार रायपुर को आदेश दिये गये उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.02.2025 की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/214 दिनांक 19.03.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई।



उपखण्ड अधिकारी

पिडावा, जिला झालावाड (राज०)



अभिभाषक वादी ने सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2025 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार ग्राम रूपारेल तहसील रायपुर खाता संख्या 152 के खसरा नं. 23 रकबा 1.4796 हे०, खसरा नं. 24 रकबा 1.3026 हे०, खसरा नं. 26 रकबा 1.2646 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 4.0468 हे० भूमि का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख०नं०	रकबा हे०	दिशा
1	रूपारेल खाता संख्या 152	नानूराम पि. सेवा जाति बागरी नि. रूपारेल रहन एक्सिस बैंक शाखा झालावाड	23	0.8220	उत्तर
			24	0.7107	पूर्व
			26	0.6925	दक्षिण
			कित्ता 3	2.2252	
2	रूपारेल खाता संख्या 152	शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति बागरी नि.कोचरियाखेड़ी	23	0.6576	दक्षिण
			24	0.5689	पश्चिम
			26	0.5520	उत्तर
			कित्ता 3	1.7785	
3	रूपारेल खाता संख्या 152	शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति बागरी नि.कोचरियाखेड़ी नानूराम पि. सेवा जाति बागरी नि. रूपारेल रहन एक्सिस बैंक शाखा झालावाड	24	0.0230	दक्षिण पूर्व
			26	0.0201	पूर्व
			कित्ता 2	0.0431	

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज०)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 127 / 2023

दायर दिनांक 03.11.2023

उनवान

1. नानूराम पि. सेवा जाति बागरी निवासी रूपारेल तहसील रायपुर

.....वादी

वनाम

1. शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति बागरी नि.कोचरियाखेड़ी तहसील पचपहाड

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर०टी०एक्ट

उपस्थिति :-

अभिभाषक वादी :- श्री महेन्द्रसिंह जैन

प्रतिवा :- एकतरफा

मिनजानित मुदई रूवरूx.....मिनजाविन मुदालयह हुक्म व डिक्री दी जाती है कि इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2025 की पालना में प्राप्त व स्वीकार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार ग्राम रूपारेल तहसील रायपुर खाता संख्या 152 के खसरा नं. 23 रकबा 1.4796 हे०, खसरा नं. 24 रकबा 1.3026 हे०, खसरा नं. 26 रकबा 1.2646 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 4.0468 हे० भूमि का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जा काशत अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	ग्राम	खातेदार का नाम	ख०न०	रकबा है०	दिशा
1	रूपारेल खाता संख्या 152	नानूराम पि. सेवा जाति बागरी नि. रूपारेल रहन एक्सिस बैंक शाखा झालावाड	23	0.8220	उत्तर
			24	0.7107	पूर्व
			26	0.6925	दक्षिण
			कित्ता 3	2.2252	
2	रूपारेल खाता संख्या 152	शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति बागरी नि.कोचरियाखेड़ी	23	0.6576	दक्षिण
			24	0.5689	पश्चिम
			26	0.5520	उत्तर
			कित्ता 3	1.7785	



U
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

6

3	रूपारेल खाता संख्या 152	शंकरलाल पि. मांगीलाल जाति बागरी नि.कोचरियाखेडी नानूराम पि. सेवा जाति बागरी नि. रूपारेल रहन एक्सिस बैंक शाखा झालावाड	24	0.0230	दक्षिण पूर्व
			26	0.0201	पूर्व
			किता 2	0.0431	

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

Yuy
06/5/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)

उपखण्ड अधिकारी, पिडावा

जिला झालावाड राज०

निजX..... मुवालिफX..... बाबत खर्चा इस मुकदमे के सूद बपारहX...

.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 06.05.2025 को जारी किया गया।

Yuy

उपखण्ड अधिकारी, पिडावा

जिला झालावाड राज०

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प बकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत इजराय हुकमनाम
स्टाम्प बजह सबूत	बाबत इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Yuy

उपखण्ड अधिकारी, पिडावा

जिला झालावाड राज०

पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

